न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 13.02.2019

मु.नं. 07/2017

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का खारबारा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर (सायल)

बनाम

आसाराम पुत्र अजीताराम जाति मेघवाल निवासी खारबारा तहसील छतरगढ जिला बीकानेर (गैरसायल)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खारबारा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि गैर सायल आसाराम पुत्र अजीताराम जाति मेघवाल जाति मेघवाल निवासी खारबारा तहसील छतरगढ जिला बीकानेर ने कृषि सम्वत् 2074 फसल खरीफ में चक 3 डी.एल के मु0न0 168/56 के कि0न0 21=0.04, 22=0.04, 23=0.04, 24=0.04, 25=0.04 कुल 1.00 बीघा कमाण्ड राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से तारबन्दी व मेड बना ली है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया।

नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। गैरसायल नोटिस प्राप्ति के बावजूद अनुपस्थित। उक्त रकबे से सम्बन्धित वाद संख्या 7810 वर्ष 2008 अनवान आसाराम बनाम खैमाराम माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है एवं स्थगन आदेश से प्रभावित है। तत्पश्चात माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 08.06.2018 को निर्णय पारित करते हुये माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय दिनांक 24.07.2008 को यथावत रखा गया है एवं माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के निर्णय दिनांक 15.02.2008 को खारिज फरमाया गया है।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 08.06.2018 की पालना हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित किया गया, उक्त निर्णय की पालना करते चक 3 डी.एल के मु0न0 168/56 के कि0न0 21=0.04, 22=0.04, 23=0.04, 24=0.04, 25=0.04 कुल 1.00 बीघा कमाण्ड राजकीय भूमि को सिवायचक नाकाबिल काश्त रास्ता दर्ज किया गया। पटवारी हल्का खारबारा की रिपोर्ट मुताबिक चक 3 डी.एल के मु0न0 168/48,56 के कि0न0 25 में दो ट्यूबवैल मय ट्रॉसफार्मर बने हुये है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 88 रू X 2 वर्ष, कुल 176 रू अक्षरे एक सौ छियतर रूपये शास्ति आरोपित कर, मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने एवं गैरसायल को बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों। इजराय पत्रावली अलग से मुर्तीब की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार जाखड)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner